

- प्रधानमंत्री मोदी ने रोजगार मेले में अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि बीते दशक में भारत के नब्बे करोड़ से अधिक नागरिकों को वेलफेयर स्कीम के दायरे में लाया गया है।
- अहमदाबाद विमान हादसे की प्रारंभिक जाँच रिपोर्ट सामने आई— इंजनों का ईंधन स्विच रन से कटऑफ में बदलने से हुआ था विनाशकारी हादसा।
- नौसेना एनसीसी इकाई के कमांडिंग ऑफिसर ने नौसेना एनसीसी अटैचमेंट कैंप आयोजित करने का प्रस्ताव रखा।
- स्मार्ट गर्ल शतरंज प्रतियोगिता शुरू— कस्तूरी बाई के साथ जिला उपायुक्त ने खेली पहली चाल।

<><><><><><><><>

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न सरकारी विभागों में इक्यावन हजार से ज़्यादा युवाओं को नियुक्ति पत्र वितरित करने के बाद रोज़गार मेले में कहा कि रोज़गार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और विकसित भारत के निर्माण में उनका सक्रिय सहयोग लेने की सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने कहा कि स्टार्टअप देश के युवाओं की क्षमता को बढ़ा रहा है। हाल ही में निजी क्षेत्र में रोज़गार से जुड़ी प्रोत्साहन योजना को मंजूरी दी गई है। सरकार ने लगभग एक लाख करोड़ रुपए आवंटित किए हैं और इससे साढ़े तीन करोड़ रोजगार सृजित करने में मदद मिलेगी। पी एल आई योजना के अंतर्गत देशभर में ग्यारह लाख से अधिक रोजगार का सृजन हुआ है। उन्होंने कहा कि आज देश में ग्यारह लाख करोड़ रुपये का इलेक्ट्रॉनिक विनिर्माण हो रहा है। देश का रक्षा उत्पादन सवा लाख करोड़ रुपए को पार कर गया है और इसके साथ ही देश रक्षा विनिर्माण में नए कीर्तिमान बना रहा है। श्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की हाल में जारी रिपोर्ट का भी जिक्र किया।

<><><><><><><><>

विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो द्वारा जारी पन्द्रह पन्नों की प्रारंभिक रिपोर्ट के अनुसार एयर इंडिया के विमान के इंजनों का ईंधन स्विच 'रन' से 'कटऑफ' में बदलने के कारण अहमदाबाद में विनाशकारी हादसा हुआ था। रिपोर्ट के अनुसार एक पायलट को कॉकपिट वायस रिकॉर्डर पर दूसरे पायलट से यह कहते हुए सुना गया उसने ईंधन आपूर्ति प्रणाली क्यों बंद कर दी थी। इसके जवाब में पायलट ने कहा कि उसने ऐसा कुछ नहीं किया था। जांच एजेंसी ने कहा है कि ईंधन नियंत्रण से संबंधित स्विच को बाद में ऑन किया गया, लेकिन एक ईंजन में आई खराबी को दूर नहीं किया जा सका। सभी हितधारकों से मांगे गए अतिरिक्त साक्ष्यों की जांच की जाएगी। इस दुर्घटना में दो सौ साठ लोगों की मौत हो गई थी।

<><><><><><><><>

अंडमान निकोबार राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण ने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सहयोग से आज हैडो वार्ड नम्बर-1 में कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ यौन उत्पीड़न की रोकथाम और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम पर एक कानूनी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, समाज कल्याण विभाग की महिला कर्मचारियों और हैडो गाँव के निवासियों ने भाग लिया। कार्यक्रम में महिलाओं और बच्चों को गुड टच और बैड टच के बारे में विस्तार से बताया गया। कानून के जानकारों ने बताया कि हर महिला और बच्चों को पोक्सो एक्ट बारे में जरूर पता होना चाहिए, जिससे कि बच्चों पर कोई मुसीबत ना आए। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं पोक्सो मामलों के विशेष न्यायाधीश नियाज़ आलम ने पीड़ितों की निजता और गोपनीयता बनाए रखने के लिए पोक्सो अधिनियम के तहत निर्धारित विशेष प्रक्रियाओं के बारे में बताया, जिनमें बंद कमरे में कार्यवाही, मीडिया रिपोर्टिंग पर प्रतिबंध और बाल पीड़ित की पहचान उजागर करने पर सख्त प्रतिबंध शामिल हैं। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथियों ने बताया कि किसी भी हाल में अपराधी से डरने की जरूरत नहीं है और अपने माता-पिता को हर बात बताएं। कार्यक्रम में कलकत्ता उच्च न्यायालय के पोर्ट ब्लेयर स्थित सर्किट बेंच के रजिस्ट्रार और अंडमान निकोबार द्वीपसमूह राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिव राशिद आलम, पोर्ट ब्लेयर के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश, पोक्सो कोर्ट, नियाज़ आलम, पोर्ट ब्लेयर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-सह-सचिव सम्राट रॉय, पोर्ट ब्लेयर की विशेष लोक अभियोजक तस्नीम आबिद और अधिवक्ता आकांक्षा सिंह उपस्थित रहे।

<><><><><><><><>

संस्कृति निदेशक के पते पर अपनी उपलब्धियों का विवरण सहित अपना बायोडाटा जमा कर सकते हैं या
मेल कर सकते हैं।

